

आवश्यक सूचना

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर O.A. No. 46/2018 (Nuggehali Jayasimha Vs. Government of NCT of Delhi) की सुनवाई के दौरान दिनांक 24/01/2020 को आदेश पारित करते हुये माननीय प्राधिकरण ने राज्य के सभी गैर-सरकारी डेयरी उद्योगों एवं गौशालाओं को निर्देश दिया है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर (दिनांक 24/02/2020 तक) वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद को उपलब्ध करायें।

डेयरी उद्योगों एवं गौशालाओं के लिए इन्वेंटरी प्रपत्र

क्रम सं०	डेयरी/गौशाला का नाम	स्थल/जिला का नाम	पशुओं की कुल संख्या	पशुओं की गोबर की कुल मात्रा (टन प्रतिदिन)	पशुओं की गोबर/तरल अवशिष्ट के निपटान की विधि

अतः सभी गैर-सरकारी डेयरी उद्योगों एवं गौशालाओं को निर्देश दिया जाता है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ प्रासंगिक सूचना (विहित प्रपत्र में) दिनांक 24/02/2020 तक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, परिवेश भवन, एन0एस0बी0-2, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट-सदाकत आश्रम, पाटलिपुत्र, पटना को निबंधित डाक / ई-मेल bspccb@yahoo.com से निश्चित रूप से समर्पित करें।

सदस्य-सचिव।



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना - 800 010

दूरभाष नं०- 0612-2261250/2262265, फ़ैक्स- 0612-2261050

ई-मेल-bspccb@yahoo.com, वेबसाइट- <http://bspccb.bih.nic.in>